



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 चैत्र, 1944 (श०)

संख्या - 180 राँची, सोमवार,

18 अप्रैल, 2022 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

7 अप्रैल, 2022

विषय :- मानकी मुण्डा, ग्राम प्रधान, डकुआ, परगणैत, पराणिक, जोग मांझी, कुड़ाम नायकी, नायकी, गोंडैत, मूल रैयत, पड़हा राजा, ग्राम सभा का प्रधान, घाटवाल, तावेदार एवं ग्रामीण दिउरी (पुजारी) की तरह गिरिडीह जिला के मांझी हडाम, जोग मांझी, पराणिक, नायके बाबा, कुड़ाम नायके को सम्मान राशि देने की स्वीकृति के संबंध में ।

संचिका सं०-06/मानकी मुण्डा-277/2018-1208/रा०--वर्तमान में मानकी को प्रतिमाह 3000/- रुपये, मुण्डा एवं ग्राम प्रधान को प्रतिमाह 2000/- रुपये तथा डकुआ, परगणैत, पराणिक, जोग मांझी, कुड़ाम नायकी, नायकी, गोंडैत, मूल रैयत, पड़हा राजा, ग्रामसभा का प्रधान, घाटवाल, तावेदार तथा ग्रामीण दिउरी (पुजारी) को प्रतिमाह 1000/-रुपये विभागीय संकल्प संख्या-4654/ रा०, दिनांक- 22.11.2018 एवं विभागीय संकल्प संख्या-3512/रा०, दिनांक- 17.09.2019 द्वारा सम्मान राशि का भुगतान किया जा रहा है ।

2. मानकी मुण्डा, ग्राम प्रधान, डाकुआ, परगणैत, पराणिक, जोग मांझी, कुड़ाम नायकी, नायकी, गोंडैत, मूल रैयत, पडहा राजा, ग्राम सभा का प्रधान, घाटवाल, तावेदार एवं ग्रामीण दिउरी (पुजारी) के समरूप कार्य करने वाले मांझी हडाम, जोग मांझी, पराणिक, नायके बाबा, कुड़ाम नायके की सूची उपायुक्त, गिरिडीह से प्राप्त हुई है। मांझी हडाम की संख्या-177, जोग मांझी की संख्या-179, पराणिक की संख्या-143, नायके बाबा की संख्या-78, कुड़ाम नायके की संख्या-120 इस प्रकार कुल संख्या-697 है ।
3. अतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची का प्रस्ताव है कि मांझी हडाम, जोग मांझी, पराणिक, नायके बाबा, कुड़ाम नायके को 1000/- रुपये की राशि प्रतिमाह सम्मान राशि के रूप में भुगतान करने का निर्णय लिया गया है ।
4. वित्तीय वर्षवार राशि का उपबंध राज्य योजना मुख्यशीर्ष 2029-भू-राजस्व, लघुशीर्ष- 101-संग्रहण प्रभार उपशीर्ष-01-मानकी, मुण्डा डाकुआ प्रधान/ठिकेदार के लिए सम्मान के अंतर्गत मानदेय ईकाई से भुगतान किया जायेगा ।

उक्त पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-30.03.2022 के मद संख्या-21 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विजय कुमार टोप्पो,
सरकार के उप सचिव ।
